रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2290] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 19, 2015/आश्विन 27, 1937
No. 2290] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2015/ASVINA 27, 1937

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2015

का.आ. 2874(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसके बाद इसमें 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ अपर महानगरीय सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, हैदराबाद, जिसकी अध्यक्षता श्री जी. लक्ष्मीपति, न्यायाधीश द्वारा की जा रही थी, को 24 जनवरी, 2013 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित 22 जनवरी, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 269(अ) के द्वारा विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण आन्ध्र प्रदेश राज्य था;

और जबकि, हैदराबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने I अपर महानगरीय सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, हैदराबाद, जिसके अध्यक्ष श्री जी. लक्ष्मीपति थे, जिनका अब स्थानान्तरण हो गया है, के स्थान पर IV अपर महानगरीय सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, हैदराबाद, जिसकी अध्यक्षता श्री के. रवीन्द्र रेड्डी द्वारा की जा रही है, की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा जांच किए जा रहे अनुसूचित अपराधों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय के तौर पर सिफारिश की है;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 22 जनवरी, 2013 की अधिसूचना सं. 269 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने के लिए छोड़ दिया गया था, हैदराबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर एतद्वारा IV अपर महानगरीय सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, हैदराबाद, जिसकी

अध्यक्षता श्री के. रवीन्द्र रेड्डी द्वारा की जा रही है, को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) एवं (3) के प्रयोजनार्थ सम्पूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य में अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए क्षेत्राधिकारयुक्त विशेष न्यायालय के तौर पर अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV (भाग-II)]

एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2015

S.O. 2874(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S.O. 269(E) dated the 22nd January, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 24th January, 2013, notified the Court of I Additional Metropolitan Sessions Judge's Court, Hyderabad presided over the Shri G. Lakmipathi, Judge as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having Jurisdiction throughout the State of Andhra Pradesh for the trial of schedule offences;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Judicature at Hyderabad has recommended the IV Additional Metropolitan Sessions Judge's Court, Hyderabad presided over by Sri K. Ravinder Reddy, as Special Court for trial of schedule offences investigated by the National Investigation Agency in place of the Court of I Additional Metropolitan Sessions Judge, Hyderabad presided over by Shri G. Laxmipathi, who has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 11 of the said Act and in supersession of the notification number S.O. 269(E), dated the 22nd January, 2013, except as regard to things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Judicature at Hyderabad, hereby notifies the Court of IV Additional Metropolitan Sessions Judge's Court, Hyderabad presided over by Sri K. Ravinder Reddy as the Special Court for the purpose of the said sub-sections (1) and (3) of the section 11 of the said Act for the trial of schedule offences having jurisdiction throughout the State of Andhra Pradesh.

[F. No. 17011/50/2009-IS.IV (Part-II)]

M. A. GANAPATHY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.